## बिहार सरकार
## खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–2 / एम0एम0 (बा0) 09 / 14–4455 / एम0, पटना, दिनांक–6/12/18

प्रेषक,

अंशुली आर्या, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता।

विषयः– लघु खनिज बालू के विक्रय मूल्य निर्धारण करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–2158 / एम0, दिनांक–18.05.2018, पत्रांक–3192 / एम0, दिनांक–01.08.2018, पत्रांक–4333 / एम0, दिनांक–26.11.2018 तथा पत्रांक–4371 / एम0, दिनांक–29.11.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व प्रेषित प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया स्मरण करना चाहेगें। उल्लेखनीय है कि लघु खनिज बालू के विक्रय मूल्य के निर्धारण हेतु संसूचित अनेक विभागीय निदेशों के बावजूद अधिकांश जिलों से एतद् संबंधी प्रतिवेदन अद्यतन उपलब्ध नहीं कराया गया गया है। अद्यतन समय में बालू के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा जनसामान्य को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बालू के दर के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से समीक्षा की जा रही है।

अतएव निदेशित किया जाता है कि अपने प्रभाराधीन जिलान्तर्गत लघु खनिज बालू का अद्यतन विक्रय मूल्य (Pit Head) के अतिरिक्त जिला के ट्रांसपोर्टरों के साथ भी बैठक कर बालू का अधिकतम बाजार दर निर्धारित किया जाय, ताकि आम जनता को सुगमतापूर्वक बालू उपलब्ध हो सके। एतद् संबंधी बैठक में जिला के पुलिस अधीक्षक भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल रहेगें।

विश्वासभाजन

AA 6/12

प्रधान सचिव